

23.5.18

पुनर्वनी आप जॉय कोर्ट प-चलेंगी में पेश हुई। पुनर्वनी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आ.प.म. मु.न. 24/13 उनवानी लंगशेर साहि वनाग शा.सेर सिई काफि के निर्णय दिनांक 9.6.15 के विकरु किया गया है। अगर प्राणी को न्यायालय हाथ के निर्णय के विकरु कोई आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में आपील प्रस्तुत कर अनुतोप प्रा.प. कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा निर्णय के विकरु सक्षम न्यायालय में आपील प्रस्तुत नहीं की गई। इधर विवेचना के प्रस्तुत आ.प.म. आ.आ.देश 9 नियम 13(ए.ए.का) स्वार्थिक किया जाता है। पुनर्वनी कमल सुमार होकर नम्बर की काम होना। दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुर (राज.)